न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 55/2022 दायर तारीख 07.04.2022

अनवान

01 विकास पिता लादूराम जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)

...........प्रार्थी

बनाम

01 भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री रामफुल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :–28.3.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 611/5 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां मे स्थित है। जिस पर आने जाने के लिये 15 फीट चौड़ा रास्ता ग्राम बिजौलियां कलां की बिलानाम आराजी नम्बर 611 रकबा 14.1721 हैक्टेयर मे से होकर प्रार्थी अपनी आराजी पर आते जाते है, प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर काष्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान मे भी रास्ते के आलामात मौजूद है विपक्षी की उक्त आराजी संख्या 611 मे उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर काश्त करने के लिये आने जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नही है। यह कि प्रार्थी विपक्ष की उक्त आराजी पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड मे लेने के बदले मे तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार है। उक्त रास्ता राजस्व रिॅर्ड मे दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1666 दिनांक 12.07.2022 में अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नम्बर 611/5 रकबा 0.3399 है0 एवं आराजी नम्बर 1749/924 रकबा 0.3076 है0 कुल किता 2 रकबा 0.6475 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि विकास पुत्र लादूराम देराश्री जाति ब्राहमण निवासी बिजौलियां के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मे आने जाने हेतु प्रार्थी खातेदार आराजी नम्बर 611 मे से रास्ता चाहने हेतु निवेदन किया है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नम्बर 2002/610 रकबा 0.0081 है0. आ.न. 2003/611 रकबा 0.1376 है0 व आराजी न. 2004/611 रकबा 0.0162 है0 कुल किता 3 किस्म गै. मु. रास्ता (बिलानाम गे0का0काष्त) दर्ज रिकॉर्ड है। तथा उक्त रास्ते से लगती हुई ही आराजी न. 611 मे से लघुत्तम रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे जाता है।

ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी न. 611 रकबा 14.1721 है0 किस्म गे.मु. मगरी बिलानाम गे0का0काश्त (खनिज संभावित) दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि से प्रार्थी 15 फीट (4.57 मी.) चौड़ा रास्ता चाहने हेतु निवेदन किया है। जिससे आराजी नम्बर 611 रकबा 14.1721 है. भूमि मे से 4.57×190=868 व.मी. यानि 0.0868 है. भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है।

उक्त भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है तथा कोई न्यायालय स्थगन नही है। उक्त प्रस्तावित भुमि को रास्ता दर्ज करने पर कोई सार्वजनिक आपत्ति नही हैं।

ग्राम बिजौलियां कलां मे बिलानाम आराजी न. 611 रकबा 14.1721 है. मे से प्रस्तावित रास्ते की 0.0868 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 1897601/प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालिकात 164712 रूपये का दुगुना से 329424 रूपये की राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खनिज सम्भावित होने से खनिज विभाग बिजौलियां से आपत्ति/ अनापत्ति चाही गयी जिसमें कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां से प्राप्त पत्र के पत्र क्रमांक खअ/बिजौ/मा.वि./अनापत्ति/2022/290 दिनांक 01.12.2022 के अनुसार प्रकरण संख्या 55/2022 विकास पुत्र लादूराम देराश्री जाति ब्राहमण मे मोजा ग्राम बिजौलियां कलां प.ह. बिजौलियां कलां मे स्थित आराजी नम्बर 611/5 रकबा 0.3399 है0 भूमि मे आने जाने के लिये विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 611 रकबा 14.1721 है0 भूमि से होकर प्रार्थी की आराजीयत मे जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहने हेतु निवेदन किया है।

श्रीमान अधीक्षण भू-वैज्ञानिक भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 886 दिनांक 28.11.2022 के अनुसार " आवेदित क्षेत्र मे सेन्ड स्टोन के आउटक्रोप्स सतह पर दृष्टिगत है जिससे यह स्पष्ट होता है, कि सेन्ड स्ओन क्षेत्र मे विद्यमान है तथा क्षेत्र के 100 मीटर दक्षिण दिशा मे हाइटेंशन लाईन गुजर रही है, क्षेत्र के पूर्व दिषा मे करिब 400 मीटर दूरी पर तालाब का कैचमेन्ट क्षेत्र आता है। क्षेत्र के पष्चिमी दिषा मे करिब 700 मी0 दूरी पर बिजौलियां कस्बा का आबादी क्षेत्र षुरू होता है, क्षेत्र के 1 कि0 मीटर दायरे मे वर्तमान मे कोई भी खनन गतिविधि नही पाई गई है, निकटवर्ती आबादी क्षेत्र, हाइटेंशन लाईन व केचमेन्ट क्षेत्र होने से क्षेत्र मे खनन कार्य सूरक्षा/नियमों की दृष्टि से किया जाना सम्भव नही है। अतः उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आराजी नम्बर 611/05 मे आवागमन हेतु आराजी संख्या 611 मे से रास्ता प्रदान किया जा सकता है।

अतः उक्त आराजी संख्या 611 रकबा 14.1721 हैक्टेयर किस्म गे0मु0 मगरी बिलानाम गे0का0काश्त मे से 4.57×190=868 व.मी. यानि 0.0868 हैक्टेयर रास्ता आंवटन मे खनिज अभियन्ता बिजौलियां को कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सरकार पैरोकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने में भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां मे आराजी नम्बर 611/5 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता विपक्षी की ग्राम बिजौलियां कलां की बिलानाम आराजी नम्बर 611 रकबा 14.1721 हैक्टेयर मे से 4.57×190=868 व.मी. यानि 0.0868 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बिजौलियां कलां मे बिलानाम आराजी न. 611 रकबा 14.1721 है. मे से प्रस्तावित रास्ते की 0.0868 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 1897601/प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालिकात 164712 रूपये का दुगुना से 329424 रूपये की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 28/3/.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा